



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक १५, १९९० द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/परीक्षा-1/ मई-जून 24/5511-A


भोपाल, दिनांक 11/05/2024

:: संशोधित अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक Exam-1/May-June 24/5330 दिनांक 11/03/2024 के अनुसार परीक्षा सत्र मई-जून 24 के परीक्षा फार्म भरे जाने हेतु अधिसूचना जारी की गई थी। अध्ययन संस्थाओं एवं विभागों के परीक्षा फार्म न भर पाने के अभ्यावेदनों पर वरिष्ठस्तर के निर्देशानुसार के विश्वविद्यालय अध्ययन संस्थाओं/शैक्षणिक विभाग/परिसर परीक्षा फार्म भरने के लिए एक दिन विलम्ब शुल्क के साथ लिंक खोली जाती है :-

S. No.	Particulars	Date of Link Open (Exam Forms) by Associated Study Institutes/UTD
A	Students enrolled in January 2024 Session and before. (With Late fee of Rs. 500/- per form)	13 से 15 May 2024 तक

शेष नियम एवं शर्तें पूर्व में परीक्षा सत्र मई-जून 24 के लिए जारी परीक्षा अधिसूचना क्रमांक Exam-1/May-June 24/5330 दिनांक 11/03/2024 के अनुसार रहेंगी। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी आवश्यक रूप से उक्त तिथि में अपना परीक्षा फार्म भर लेवे।



(परीक्षा नियंत्रक)

क्रमांक/परीक्षा-1/ मई-जून 24/ 5512-A

भोपाल, दिनांक 11/05/2024

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक कुलपति, कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग/समस्त परिसर प्रभारी भोपाल/नोएडा/खण्डवा/रीवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. निदेशक, ए.एस.आई. को सूचनार्थ। कृपया संशोधित अधिसूचना से सभी संबंधित अध्ययन संस्थाओं को अवगत कराएँ।
4. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक कुलसचिव, गोपनीय/परीक्षा/नामांकन/मूल्यांकन/उपाधि शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संचालक, एम.पी ऑनलाईन लिमिटेड को सूचनार्थ। कृपया समस्त पाठ्यक्रमों के नियमित एवं बैकलॉग विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म भरने हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि में लिंक ओपन करे एवं इसकी सूचना शैक्षणिक विभाग, परिसरों के अधिकृत मेल पर प्रेषित किए जाने की व्यवस्था भी करें।
8. समस्त संचालक/प्रभारी, संबंधित अध्ययन संस्था को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(परीक्षा नियंत्रक)